पीठासीन अधिकारी - ... कैम्प भीमरलाई

राजस्व विविध सं. — श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

प्रार्थी — 134 / 2013

बनाम

1. इशराराम पुत्र मूलाराम जाति भील
2. गंगादेवी 3. बबरी 4. मैरो 5. हवादेवी पुत्रीया मूलाराम धर्मपत्नी जाति भील नि. भीमरलाई.

विप्रार्थीगण

1. रामाराम पुत्र फुसाराम जाति भील
2. गोविन्द पुत्र भंवरा जाति भील
3. छोगा पुत्र मोता भील
4. गोरखा पुत्र निम्बा जाति भील
5. धर्माराम पुत्र जैसाराम जाति मेगवाल
6. भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए

उपस्थित –

1. प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण स्वंय

आदेश

दिनांक: 18.05.2018

प्रार्थीगण ने न्यायालय मे वर्तमान प्रकरण इस आशय का पेश किया कि, सरहद मौजा भीमरलाई की राजस्व सीमा मे खेत खसरा सं. 146 रकबा 45.17 बीघा, खसरा सं. 217 रकबा 79 बीघा, खसरा सं. 243 रकबा 60.04 बीघा कुल रकबा 185 बीघा 01 बिस्वा सरहद मौजा भीमरलाई की खातेदारी घोषणा का मूल वाद प्रस्तुत किया, वाद पत्र में व्यक्त आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र वादीगण प्रथम दृष्टया काबिल डिक्री है, उपरोक्त भूमियां प्रार्थीगण के नाना मूलाराम एवं मूलाराम के सगे भाई मोडाराम के खातेदारी कब्जा काश्त की रही है, मोडाराम या मूलाराम के कोई जायन्दा पुत्र नही था, मूलाराम की एक मात्र जायन्दा पुत्री प्रार्थीगण की माता श्रीमती कदणो ही थी, मूलाराम व मोड़ाराम की सेवा चाकरी जब तक मूलाराम व मोड़ाराम जीवित रहे, तब तक श्रीमती कदणो एवं प्रार्थीगण ने ही की, मोड़ाराम व मूलाराम की मृत्यु पर उनके बाहरवां एवं गंगा प्रसादी पिण्डदान, सामाजिक रीति रिवाज अनुसार प्रार्थीगण की माता श्रीमती कदणो के द्वारा ही किया गया, मूलाराम व मोडाराम की एक मात्र प्रथम श्रेणी की वारिस श्रीमती कदणों ही है। मूलाराम व मोडाराम का देहान्त सन् 1996 में हो चुका है, एवं प्रार्थीगण की माता श्रीमती कदणो का देहान्त दिनांक 12.07.2010 को हो गया, उपरोक्त भूमिया पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहवास पानी का टांका इत्यादी भी बना हुआ है, प्रार्थीगण द्वारा अदा किये लगान की रसीदात् भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है, फोतगी म्युटेशन के जरीये प्रार्थीगण की माता या प्रार्थीगण का नाम रेकर्ड में दर्ज नही होने से हल्का पटवारी ने गांव के असामाजिक तत्वो व विप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में अवैध रूप से दखल हस्तक्षेप किया जाना लगा, ऐसी विषम परिस्थितियों में विप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद पेश किया, मूल वाद के विचाराधीन रहते विप्रार्थीगण अपनी प्रास्थिति का दुरूपयोग कर मनमानी तरंग पर प्रार्थीगण के विधि पूर्ण कब्जा खातेदारी की भूमि में दखल करते हैं तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन मुद्रा में करना संभव नही होगा।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, जिस पर विप्रार्थी सं. 03 न्यायालय में उपस्थित आया, शेष विप्रार्थीगण बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहे, विप्रार्थी सं. 03 को जबाव प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजुद भी विप्रार्थी सं. 03 द्वारा जबाव प्रस्तुत नही किया गया, जिससे विप्रार्थीगण का जबाव का अवसर बंद किया गया। पत्रावली केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भीमरलाई में सुनवाई हेतु रखने के लिये पक्षकरान् को नोटिस जारी किये गये, जो पक्षकारान् को प्राप्त हुए, पक्षकारान् केम्प कोर्ट में उपस्थित आये।

हमने उपस्थित पक्ष की बहस को सुना, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के हक्पुर्वाधिकारी श्रीमती कदणो की पैतृक कृषि भूमि रही है, तत्समय के खातेदार मूलाराम व मोड़ाराम की एकमात्र वारिस प्रार्थीगण की माता कदणो देवी रही है, कदणो देवी के अलावा मूलाराम व मोड़ाराम के कोई वारिस नही होने से प्रार्थीगण ने घोषणा का वादपत्र पेश किया है,

....2..

(भागीरथ राम)

और यदि दौराने दावा विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल/हस्तक्षेप, बाधा या अवरोध या प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में कोई रूकावट पैदा करते है, तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि के उपयोग, उपभोग से वंचित रह जायेंगे, जिससे प्रार्थीगण को असुविधा होगी। वाद पत्र प्रथम दृष्टिया काबिल डिक्री के हैं, इस प्रकार दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के सभी आधार प्रार्थीगण के हक पक्ष में एक साथ पूर्ण होते है, दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से विप्रार्थीगण को कोई असुविधा या क्षति नहीं होगी । अलावा इसके जिस रोज प्रकरण प्रस्तुत हुआ, उसी दिन से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रभावी रही है ।

इस सम्बंध में मजमें आम में चर्चा की गई, तथा पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन अध्ययन करने से यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थीगण ने खसरा सं. 146 रकबा 45.17 बीघा, खसरा सं. 217 रकबा 79 बीघा, खसरा सं. 243 रकबा 60.04 बीघा के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है और वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की माता श्रीमती कदणोदेवी के हकपुर्वाधिकारी मोडाराम व मूलाराम की खातेदारी कब्जाकाश्त की रही है, प्रार्थीगण की माता कदणोदेवी, मूलाराम व मोड़ाराम की एकमात्र वारिस है, और यदि वाद पत्र के विचाराधिन रहते प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी अन्य के द्वारा दखल/हस्तक्षेप किया जाता है, तो उसे असुविधा होने तथा अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तथा साम्या का पवित्र सिद्धान्त प्रार्थीगण के हक पक्ष में पाये जाते है ।

बाद गौर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दौराने दावा विप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं, कि खसरा सं. 146 रकबा 45.17 बीघा, खसरा सं. 217 रकबा 79 बीघा, खसरा सं. 243 रकबा 60.04 बीघा कुल रकबा 185 बीघा 01 विस्वा में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में कोई दखल/हस्तक्षेप, बाधा या अवरोध कारित नहीं करें और न वादग्रस्त भूमि में प्रवेश करने की कोई चेष्टा ही करें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

आदेश आज तारीख 18.05.2018 को मजमे आम केम्प कोर्ट भीमरलाई में सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प 2018
सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.. केम्प कोर्ट भीमरलाई

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा